संख्याः491(I)/XIII-1/2014–3(13)2010

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **कृषि निदेशक,**
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. **समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 03 जुलाई, 2014

विषयः केन्द्र पुरोनिधानित Support to State Extention Programmes for Extention Reforms Scheme के संचालन हेतु विभिन्न स्तरों पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट पदों का सृजन।

महोदय,

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–9–4/2008–एई दिनांक 16.04.2010, 29.06.2010 तथा शासनादेश सं0–740/XIII-1/2011-3(13)2010 दिनांक 18 अगस्त, 2011 एवं सं0–242/XIII-1/2013-3(13)2010 दिनांक 14 फरवरी, 2013 के क्रम में निम्न विवरणानुसार अस्थाई प्रकृति के पदों को निम्नलिखित तालिका में कालम–6 में अंकित वेतनमान/मानदेय में दिनांक 28.02.2015 तक बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिए जायें, के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्त एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तर	पदनाम	पदों की संख्या	नियुक्ति की प्रकृति	योग्यता/अनुभव	वेतनमान/मानदेय
1	2	3	4	5	6
राज्य	उप निदेशक	01	प्रतिनियुक्ति	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर तथा रू0 15000–39100 ग्रेड पे–रू0 5400 में 03 वर्ष का अनुभव।	वेतनमान–रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 6600
राज्य	डाटा इन्ट्री आपरेटर	01	संविदा पर सेवा प्रदाय एजेन्सी के माध्यम से।	स्नातक/कम्प्यूटर का ज्ञान। कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा।	रू0 8000/– प्रतिमाह नियत मानदेय।
ब्लाक	विषय विशेषज्ञ	95	संविदा पर सेवा प्रदाय एजेन्सी के माध्यम से।	कृषि/औद्यानिकी/अर्थशास्त्र/विपणन/पशुपालन/मतस्य में स्नातक/स्नातकोत्तर।	रू0 8500/– प्रतिमाह नियत मानदेय।
	कुल पद	**97**			

2– उपरोक्त पदों का सृजन योजना अवधि तक के लिए ही किया जा रहा है। योजना के समाप्त होते ही उक्त पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

क्रमशः...............2

3– कृषि निदेशक उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु समुचित परिव्य तथा बजट की व्यवस्था सुसंगत विभागीय लेखा शीर्षकों के अंतर्गत की जायेगी। वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4– उपरोक्त पदों के सृजन के पश्चात आने वाला व्यय भार 90:10 के अनुपात में केन्द्रांश एवं राज्यांश से निर्वहन किया जायेगा।

5– सेवा प्रदाय एजेन्सी के माध्यम से रखे जाने के संबंध में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–319/XXVII(7)/2012 दिनांक 21 नवम्बर, 2012 द्वारा किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर वेतन नियमानुसार ही देय होगा।

6– संविदा पर भरे जाने वाले पदों को विज्ञप्ति के माध्यम से पारदर्शी प्रकिया अपनाकर ही भरा जायेगा। आउटसोर्सिंग से भरे जाने की उक्त पारदर्शी प्रकिया पर भी अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

7– जनपद स्तरीय कार्मिक संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे ताकि समस्त रेखीय विभागों से बेहतर समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित हो सके। जनपदों के समस्त उपरोक्त कार्मिकों के सन्दर्भ में आहरण–वितरण अधिकारी मुख्य कृषि अधिकारी होंगे।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0–18(NP)/XXVII(4)//2014 दिनांक 19 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव

संख्याः 491(I)/XIII-1/2014–3(13)2010/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उततराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मंडल, पौड़ी/कुमांऊ मंडल, नैनीताल।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मंडल, हल्द्वानी।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
उप सचिव